ः न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र० ः (समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत) सत्र प्रकरण कमांक 17/2016 WINDS AND AND SUNT <u>संस्थापन दिनांक 13.01.2016</u>

मध्य प्रदेश शासन जरिये आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०अभियोगी

।। <u>विक्</u>रुद्ध।।

- 1. उमेश शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम सेंथरी, थाना महाराजपुरा ग्वालियर म.प्र.
- 2. रामस्वरूप शर्मा पुत्र हरगोविंद शर्मा, उम्र 63 वर्ष, ग्राम सेंथरी थाना महाराजपुरा गालियर म.प्र..
- 3. रामनारायण शर्मा पुत्र भोगीराम शर्मा, उम्र 53वर्ष। निवासी ग्राम खनेता, थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0

.....आरोपीगण

अभियोगी द्वारा 👇 श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अभियुक्तगण द्वारा– श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता।

।। निर्णय।। (आज दिनांक 29-06-2017 को घोषित किया गया)

प्रकरण में आरोपीगण पर आरोप है कि दिनांक 04.08.2015 के सुबह 6 बजे या उसके 01. करीब रामनिवास शर्मा को बार्ड कमांक 5 लक्ष्मण तलैया गोहद से स्कार्पिओ गाडी में जबरदस्ती बैटाकर उसे ग्राम सेंथरी ग्वालियर में कमरे में बंद कर व्यपहरण / अपहरण इस आशय से किया कि उसे गुप्त

रीति से सदोष परिरोध किया जावे एवं रामनिवासी की मारपीट सहआरोपीगण के साथ मिलकर करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आहत रामनिवास को मारपीट कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित करने के संबंध में आरोपीगण रामस्वरूप एवं रामनारायण पर धारा 365, 325/34 एवं आरोपी उमेश पर धारा 365, 325 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 04.08.2015 को फरियादी 02. जगदीश शर्मा निवासी वार्ड कमांक 5 गोहद के द्वारा पुलिस थाना गोहद में रिपोर्ट की, कि उसके लडके रामनिवास की शादी ग्राम सुरो जिला ग्वालियर निवासी आरती के साथ हुई थी और उसकी लडकी सरोज सेथरी जिला ग्वालियर उमेश शर्मा को विवाही थी। उमेश ने उसकी बहू आरती से नाजायज संबंध बना लिए और दो साल से अपने पास रखे हुए है। इसी रंजिश के कारण उमेश शर्मा अपने पिता रामस्वरूप शर्मा दो अज्ञात लोगों के साथ सफेद रंग की स्कार्पिओ गाडी क्रमांक एम.पी. 07-3180 से सुबह 06 बजे आए और बस स्टेण्ड जा रहे उसके लडके रामनिवास को आम रोड से उमेश शर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर जबरदस्ती पकडकर स्कार्पिओ गाडी में बिठालकर ले गया। उक्त गाडी गोहद से मौ तरफ गई है। रामस्वरूप शर्मा माउजर बंदूक लिए था। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अप०क० २४६ / १५ अंतर्गत धारा ३६३ भा०दं०वि० का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना उसी दिनांक को 16:00 बजे ग्राम सेंथरी थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर से अपहृता रामनिवास शर्मा की दस्तयावी की गई एवं उसके कथन लेखबद्ध किए गए तथा आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई एवं आरोपी उमेश से घटना में प्रयुक्त वाहन स्कार्पिओ क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 3180 एवं उसके रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस व बीमा की छायाप्रति की जप्ती की गई। अपहृता रामनिवास की चोटों का मेडीकल परीक्षण एवं एक्सरे परीक्षण कराया गया, जिसमें उसे फ्रेक्चर पाए जाने से धारा 365, 325 भा0दं०वि० का इजाफा किया गया। अपहृत के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किए गए एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेत् प्राप्त हुआ।

03. आरोपी रामस्वरूप व रामनारायण के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365, 325/34 एवं आरोपी उमेश शर्मा के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 365, 325 भाठदंठविठ का अपराध पाये जाने से आरोप विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये जगदीश (अ०साठ 1), रामनिवास (अ.सा. 2), देशराज (अ.सा. 3), डॉठ धीरज गुप्ता (अ.सा. 4), कोंशल शर्मा (अ.सा. 5), जजिसंह का परीक्षण कराया गया।

04. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने अपने—आप को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए झूँठा फॅसाया जाना अभिकथित किया तथा यह व्यक्त किया कि रामनिवासी अपनी पत्नी को परेशान करता था उक्त बात पंचायत में उनके द्वारा बताई गई थी जिस कारण उनसे रंजिश कर उन्हें झूठा फंसाया है। बचाव में कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है:--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 08.04.2015 को सुबह 6 बजे वार्ड क्रमांक 5 गोहद से रामनिवास शर्मा का जबरदस्ती अपहरण किया?
- 2. क्या आरोपीगण ने रामनिवास शर्मा का अपहरण इस आशय से किया कि रामनिवास शर्मा को गुप्त रीति से सदोष अवरोध कारित किया?
- 3. क्या आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में रामनिवास को स्वेच्छया मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की?
- 4. दण्डादेश यदि कोई हो तो?

।। साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ।।

नोट:- उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित है, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

06. प्रकरण में अभियोजन कथानक अनुसार आरोपीगण पर वल पूर्वक रामनिवास शर्मा का अपरण कारित करने का आरोप है। घटना के संबंध में यदि साक्षी रामनिवास अ०सा० 2 के मुख्य परीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह घटना दिनांक 04.08. 2015 को सुबह साढे पांच बजे गोहद बसस्टेण्ड से चाय पीकर घर क ओर बापस जा रहा था, उसी समय पीछे से स्कार्पिओ गाडी कमांक एम.पी. 07 सी.बी. 3180 सफेद कलर की आई जिसमें उमेश शर्मा, रामनारायण, रामस्वरूप शर्मा और एक बाबा जिसका नाम पप्पू है आए और गाडी से उतरकर उसके पास आए, उस समय उमेश शर्मा के हाथ में बंदूक थी। उमेश शर्मा ने उसे बंदूक का बट मारा जिससे उसके वांए हाथ में चोट लगी और पंजे के उपर पिंडली में मारा, फिर सभी लोग उसे जबरदस्ती गाडी में डालकर दंदरीआ की तरफ ले गए और मौ होते हुए मुरैना के जरेरूआ गांव के बीहड में ले गए तथा ग्राम सेंथरी के एक कमरे में बंद कर दिया।

07. अभियोजन की ओर से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में जगदीश अ0सा0 1, देशराज अ0सा0 3, कींशल शर्मा अ0सा0 5 के कथन कराए गए है। प्रकरण में साक्षी कींशल शर्मा अ0सा0 5 ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। अन्य चक्षुदर्शी साक्षी जगदीश अ0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह घटना दिनांक को पानी भरकर अपने घर के बाहर खडा था, उसी समय कुछ लोग कह रहे थे कि उसके लड़के को लोग मार रहे है, जब तक वह पहुँचा तब तक आरोपीगण सफेद स्कार्पिओ गाडी में चल दिए थे। गाडी में आरोपी रामस्वरूप, उमेश तथा दो अज्ञात व्यक्ति दिख रहे थे और एक बाबा भी था, तब उसने अपने पुत्र रामनिवास को गाडी में बैठा हुआ देखा था फिर उसने गोहद थाना पर रिपोर्ट की थी।

- 08. साक्षी देशराज अ0सा0 3 का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना दिनांक को सुबह 6 बजे अपने घर पर था तब उसको उसके भाई जगदीश ने बताया था कि रामनिवास की पकड़ हो गई है और आरोपीगण उसे स्कार्पिओ गाड़ी में डालकर ले गए है, फिर वह जगदीश के साथ थाना रिपोर्ट करने के लिए गया था।
- 09. साक्षी देशराज 30सा0 3 एवं जगदीश 30सा0 1 का आगे अपने कथनों में कहना रहा है कि फिर वह पुलिस के साथ ग्राम सेंथरी गए थे तो वहाँ एक खेत में रामनिवास को आरोपीगण ने रखा था जहाँ से पुलिस ने निकाला था। तत्पश्चात् रामनिवास का दस्तयाबी पंचनामा बनाया था।
- 10. प्रकरण की विवेचना साक्षी जजिसंह यादव अ०सा० 6 के द्वारा की गई है। यह साक्षी रामनिवास को ग्राम सेंथरी से दस्तयाव करने संबंधी कथन करता है साथ ही इस साक्षी ने साक्षियों के कथन एवं आरोपीगण की गिरफ्तारी संबंधी कथन किए है।
- 11. आहत रामनिवास अ०सा० 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में उमेश द्वारा बंदूक की बट से मारने संबंधी कथन किए है। प्रकरण में आहत रामनिवास का चिकित्सीय परीक्षण साक्षी डॉक्टर धीरज गुप्ता अ०सा० 4 के द्वारा किया गया है। इस साक्षी ने अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने दिनांक 04.08.2015 को रामनिवास पुत्र जगदीश का परीक्षण किया था और उसमें चोटें पाई थी7
 - वांए हाथ के उपर मध्य में लाल कंटूजन 6 गुणा 2 से.मी. जिसके एक्सरे की सलाह दी गई थी।
 - 2. वांए हाथ के चौथे और पांचवे मेटाकार्पल में सूजन थी जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी।
 - 3. वांए पैर के मध्य में खरौच 2 गुणा 1 से.मी. थी।

साक्षी डॉक्टर धीरज गुप्ता अ०सा० 4 का अपने कथनों में कहना रहा है कि आहत रामनिवास को उक्त चोटें कठोर व भौतरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी। साथ ही इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि उसने आहत को एक्सरे की सलाह दी थी तथा एक्सरे के पश्चात् आहत के मिडिल फिंगर के मेटाकार्पल में अस्थिभंग होना पाया था।

- 12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि जैसी घटना बताई जा रही है वैसा घटनाकम नहीं है। आरोपी उमेश और फरियादी आपस में रिस्तेदार है और फरियादी को यह आशंका हो गई थी कि रामनिवास की पत्नी आरती के अवैध संबंध उमेश से है और इसी कारण रामनिवास एवं उसकी पत्नी आरती के मध्य मन मुटाव हो गया था और इसी बात को लेकर विवाद था, जिसके बारे में पंचायत भी हो चुकी थी और इसी बात का हल निकालने के लिए पंचायत के लिए रामनिवास अपने जीजा आरोपी उमेश के साथ गया था और विवाद के कारण रामनिवास के जाने को अपहरण का रूप दे दिया गया।
- 13. प्रकरण में अभियोजन साक्षियों ने इस तथ्य को स्पष्ट स्वीकार किया है कि आरोपी उमेश आहत रामनिवास का जीजा है और आहत रामनिवास आरोपी उमेश का साला लगता है। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरती एवं रामनिवास के मध्य विवाद था। इस संबंध में पंचायत भी हो चुकी थी और रामनिवास की पत्नी आरती नाराज होकर अपने मायके भी चली गई थी।
- 14. बचाव पक्ष की ओर से लिए गए आधार के संबंध में साक्षी रामनिवास अ०सा० 2 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने अपने कथनों में स्वीकार किया है कि उसकी शादी आरोपी उमेश एवं उसके पिता रामस्वरूप के माध्यम से आरती के साथ हुई थी और उसकी पत्नी आरती से उसका मन मुटाव हो जाता था। साथ ही रामनिवास ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पंचायत हो जाने के पश्चात् भी कोई समझौता नहीं हो पाया था और इसी बात से नाराज होकर उसके जीजा आरोपी उमेश ने उसे डांटा था। यहाँ यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि साक्षी रामनिवास अ०सा० 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 में इस तथ्य को स्पष्टतः स्वीकार किया है कि वह अपने जीजा उमेश के साथ अपने पिता और चाचा के भाई सिहत पंचायत करने के लिए स्वयं की इच्छा से सेंथरी गया था उसे पकड़कर नहीं ले गये थे। यहाँ तक कि साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में

इस तथ्य को भी पुनः स्पष्टतः स्वीकार किया है कि उसे उसका जीजा जबरदस्ती पकडकर गाडी में डालकर नहीं ले गया था, बल्कि वह अपनी इच्छा से पंचायत के लिए गया था।

- 15. साक्षी रामनिवास अ०सा० 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में अपने पुलिस कथन प्र.डी. 3 एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन प्र.डी. 2 में दिए गए कथनों का समर्थन नहीं किया है और साक्षी का यह कहना रहा है कि उसने पुलिस के कहने पर कथन किए थे, जबकि वास्तव में घटना वैसी नहीं थी।
- 16. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी जगदीश अ०सा० 1 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने भी रामनिवास का विवाह उमेश एवं उसके पिता के माध्यम से होने की बात को स्वीकार करते हुए दोनों के मध्य विवाद को स्वीकार किया है। साथ ही दोनों पक्षों के मध्य पंचायत होना भी स्वीकार किया है, किन्तु इस साक्षी के घटना के संबंध में हुए तथ्यों के संबंध में साक्षी के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने अपनी ऑखों से रामनिवास को पकड़ते हुए नहीं देखा था और न ही उसने रामनिवास को गाड़ी में बैठे हुए देखा था और उसके घर के सामने से जहाँ घटना घटित होनी दर्शाई गई है वह स्थान दिखाई नहीं देखा है। साथ ही इस साक्षी ने प्र.डी. 1 के पुलिस कथनों में अभिलिखित कथन देने से इन्कार किया है। साथ ही इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका 7 में यह कहना रहा है कि उसे आशंका हो गई थी कि उसके दामाद के अवैध संबंध पुत्र रामनिवास की पत्नी आरती से हो गए हैं। साथ ही इस साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इसी आशंकावश उसने प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लिखाई थी व प्र.डी. 1 के कथन लिखा दिए थे।
- 17. साक्षी देशराज अ०सा० 3 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में पक्षकारों के मध्य मन मुटाव होना तथा पंचायत होने और विवाद होने संबंधी तथ्य को स्वीकार किया है तथा घटना घटित होने से इन्कार किया है।
- 18. घटना के संबंध में यदि घटना के अपहृत दर्शाए गए साक्षी रामनिवास अ०सा० 2 के

कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने मुख्य परीक्षण में कहना रहा है कि उसके साथ उमेश शर्मा ने बंदूक के बट से मारपीट की थी, जबिक इस साक्षी के पुलिस कथन इस आशय के रहे हैं कि उमेश जिस समय गाड़ी से उत्तरा उसके हाथ में लाठी थी और उसके साथ लाठी से मारपीट की थी। इस साक्षी का अपने पुलिस कथन प्र.डी. 3 में किसी भी स्थान पर ऐसा कहना नहीं रहा है कि उसके साथ किसी भी व्यक्ति के द्वारा बंदूक से मारपीट की गई अथवा मौके पर आए व्यक्तियों में किसी के पास बंदूक थी, जबिक इसी साक्षी के धारा 164 जा0फौ० के अंतर्गत अभिलिखित कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का धारा 164 जा0फौ० के कथन प्र.पी. 3 में यह कहना रहा है कि घटना के समय रामस्वरूप के हाथ में बंदूक थी जिससे रामस्वरूप ने उसके हाथ में मारा था और पैर में भी बंदूक की बट मारी थी। अतः रामनिवास के साथ किसी व्यक्ति ने किस वस्तु से मारपीट की तीन मिन्न भिन्न विरोधाभासी कथन रिकार्ड पर है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि विरोधाभास केवल वस्तु के संबंध में नहीं अपितु किस व्यक्ति के द्वारा चोट पहुँचाई गई इस संबंध में भी है। ऐसी स्थिति में आहत रामनिवास के साथ किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति में गंभीर संदेह उत्यन्न होता है।

19. दांडिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन कहानी के विपरीत अभियोजन साक्षियों के कथनों में प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के समर्थन में कोई तथ्य आते हैं तो वह मुख्य परीक्षण में किए गए तथ्यों पर अभिभावी होगें, क्योंिक प्रतिपरीक्षण का सिद्धांत यही है। प्रश्नगत प्रकरण में रामनिवास अ०सा० 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके जीजा आरोपी उमेश उसे जबरदस्ती पकड़कर नहीं ले गए थें, बल्कि वह अपनी इच्छा से विवाद को निपटाने के लिए पंचायत के लिए गया था। इस तथ्य की पुष्टि साक्षी जगदीश अ०सा० 1 एवं देशराज अ०सा० 3 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में की है ,जिससे यह दर्शित होता है और बचाव पक्ष के तर्क को वल मिलता है कि आरोपीगण रामनिवास को पकड़कर नहीं ले गए थे, बल्कि पक्षकारों के मध्य विवाद को निपटाने के लिए पंचायत कराने के माध्यम से रामनिवास की सहमित से उसे साथ लेकर गए थे, क्योंकि आरोपी उमेश रामनिवास का सगा जीजा है।

- 20. प्रकरण में जिस प्रकार अभियोजन साक्षी जगदीश अ०सा० 1, रामनिवास अ०सा० 2, देशराज अ०सा० 3 के कथनों में विरोधाभास आएं है। यहाँ तक कि रामनिवास शर्मा अ०सा० 2 के कथनों में घटना के संबंध में गंभीर व तात्विक विरोधाभास है। ऐसी स्थित में आरोपीगण द्वारा रामनिवास को वल पूर्वक ले जाने की घटना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, जबिक सहमित से ले जाने वाली संबंधी आधार साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में आए है।
- 21. अतः उपरोक्त विश्लेषित एवं निष्कर्षित परिस्थितियों में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी रामनिवास को वल पूर्वक सदोष परिरोध कारित करने के आशय से अपहरण कर ले गए।
- 22. अतः अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण उमेश श्मां, रामस्वरूप एवं रामनारायण को आरोपित अपराध भा.द.वि की धारा 365 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में आरोपीगण पर धारा 325/34 भा.द.वि की भी आरोप है, किन्तु इस संबंध में प्रकरण की आदेश पत्रिका में किए गए आदेश दिनांक 18.01.2017 के द्वारा उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा को स्वीकार करते हुए आरोपीगण को भा. द.वि की धारा 325/34 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।
- 23. आरोपीगण जमानत पर है उसके जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते है।
- 24. आरोपीगण के निरोध में रहने के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।
- 25. प्रकरण में जप्तशुदा स्कार्पिओ गाडी क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी.3180 सुपुर्दगी पर है अतः अपील अविध पश्चात् उक्त सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

26. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड को भेजी जावे।

ALIMAN PARON PARON

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सन्न न्यायाधीश गोहद जिला भिड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)